जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-29.01.2025**

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग, मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अन्य अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 11.01.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षो में एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व मारपीट की घटना हुई थी। घटना के सम्बन्ध में इमरान पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर 20 व्यक्ति नामजद व 08-10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात तथा तासमीन पुत्र इकराम निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर 23 व्यक्ति नामजद व 08-10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये तथा घटना में घायल 04 व्यक्तियों को उपचार हेतु भेजा गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण में 28 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इसी क्रम में आज दिनांक 29.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.महरवान पुत्र इदरीश निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 29.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शाकिर उर्फ बहरा पुत्र महबूब निवासी ग्राम औदरी थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना बाबरी/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 29.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-:-

1.छोटन पुत्र सुक्खा तेली निवासी अलीपुर कलां हाल पता ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।

2.इस्लाम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम अम्बेहटा रिदान थाना झिंझना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 अभियुक्त को चोरी के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1.वर्ष 2015 में अभियुक्त मनोज पुत्र तेजपाल निवासी मौहल्ला सरवरपीर थाना कोतवाली शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 359/2015 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 29.01.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.मनोज पुत्र तेजपाल निवासी मौहल्ला सरवरपीर थाना कोतवाली जनपद शामली।

साइबर थाना शामली व थाना झिंझाना पर संचालित साइबर सैल द्वारा यू0पी0आई0 की हुई गलत ट्रांजेक्शन के 90,000/- रुपये वापस कराये गये।

दिनांक 28.01.2025 को आवेदक आशु कुरैशी पुत्र इरशाद निवासी ग्राम हुसैनपुर कला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ने अपनी 90000/- रुपये की धनराशि गलत यू0पी0आई0 कर ट्रांसफर हो गये थे। जिसके सम्बन्ध में आवेदक आशु कुरैशी ने थाना झिंझाना पर प्रार्थना पत्र दिया।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के निर्देशन में साइबर थाना शामली एवं थाना झिंझाना पर संचालित साइबर सेल द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 29.01.2025 को आवेदक की पूर्ण 90,000/- रुपये (नव्वे हजार रुपये) की धनराशि उसके खाते मे वापस करायी गयी। आवेदक आशु कुरैशी पुत्र इरशाद उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शामली, साइबर थाना जनपद शामली एवं साइबर सैल थाना झिंझाना का आभार व्यक्त किया है।

साईबर सैल टीम थाना झिंझाना जनपद शामली –

1.प्र0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री शिव बहादुर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.क0ऑ0 विवेक कुमार राठी थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.क0ऑ0 यशवेन्द्र राजपूत थाना झिंझाना जनपद शामली।

कार्यालय
प्रभारी निरीक्षक
454404068